माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755) 2551650, फैक्स – (0755) 2552061

क्रमांक/1551 /प.स./2020 भोपाल दिनांक 14/ 02 /2020

//आदेश//

मण्डल द्वारा वर्ष 2020 की परीक्षाओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र में माध्यम, विषय एवं संकाय की परीक्षा केन्द्र पर संशोधन हेतु आवेदन करने पर रूपये 2,000/– अर्थदण्ड को शिथिल करते हुए माध्यम/विषय/संकाय परिवर्तन हेतु प्रति विषय रूपये 300/– के साथ दिनांक 10 फरवरी 2020 तक ऑनलाईन सुविधा मण्डल के आदेश क्रमांक 1532–33 दिनांक 03.02.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गई थी। कतिपय छात्रों के द्वारा माध्यम, विषय एवं संकाय एवं छात्र/माता–पिता के नामों में संशोधन करने हेतु अब भी मण्डल को आवेदन प्राप्त हो रहे है।

छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए, माध्यम/विषय एवं संकाय परिवर्तन हेतु प्रति विषय 300/– रूपये एवं अन्य संशोधन 300/–रूपये प्रति छात्र ऑनलाइन जमा कर दिनांक 21 फरवरी 2020 तक संशोधन जिस कियोस्क पर परीक्षा आवेदन पत्र भरे गये है, उसी कियोस्क से संशोधन की सुविधा सुविधा निम्नानुसार प्रदान की जाती है–

1 वर्ष 2019–20 के कक्षा 9वीं के नामांकन के डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार, जन्मतिथि संशोधन, फोटो संशोधन किये जा सकेंगे।
2 किसी भी नाम के प्रथम केरेक्टर के संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
3 छात्र, पिता एवं माता के नाम में स्पेलिंग त्रुटिया माध्यम एवं विषय में सुधार किया जा सकेगा।
4 हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षा आवेदन गत वर्ष कक्षा 9वीं के नामांकन डाटा पर आधारित हैं। कक्षा 9वीं में A18 सीरिज के नामांकन डाटा में स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के सुधार किये जा सकेंगे।
5 परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय जिन छात्रों ने त्रुटिवश पूर्ण परीक्षा शुल्क की छूट त्रुटिवश गलत (जैसे वर्ग Category – एस.सी./एस.टी., अंध, मूकबधिर) को चयन किया है, ऐसे परीक्षार्थी भी त्रुटि सुधार करते हुए शुल्क के अंतर की राशि कियोस्क पर भुगतान कर सकेंगे।
6 कक्षा 12वीं में केवल फोटो, माध्यम, विषय एवं संकाय संशोधन की अनुमती रहेगी।
7 किसी भी आवेदन पत्र में छात्र, माता एवं पिता का नाम एवं जन्मतिथि में से किसी भी 02 श्रेणी में संशोधन की अनुमति होगी।

जो छात्र 21 फरवरी 2020 तक माध्यम/विषय/संकाय संशोधन करेगें, उन्हें संशोधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। ये छात्र ऑनलाइन प्रवेश पत्र के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसके पश्चात् भी यदि कतिपय छात्र माध्यम/विषय/संकाय परिवर्तन करने से वंछित रह जाते है, तो ऐसे छात्र सीधे परीक्षा केन्द्र पर प्रति विषय रूपये 300/– का चालान एवं संस्था प्राचार्य से अग्रेषित आवेदन केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर संशोधित विषय से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/1552/परीक्षा समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक: 14/ 02/2020

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव–अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
2– संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
3– समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5– आंचलिक/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग ।
6– पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.म.भोपाल।
7– नि.स.– सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
8– प्राचार्य, समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
9– समस्त केन्द्राध्यक्ष, मध्यप्रदेश की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10– लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रचार–प्रसार हेतु ।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755) 2551650, फैक्स – (0755) 2552061

क्रमांक/1532 /प.स./2020 भोपाल दिनांक 03/01 /2020

//आदेश//

मण्डल द्वारा वर्ष 2020 की परीक्षाओं हेतु प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन भरने के लिऐ प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाईन औवदन भरने के आदेश क्रमांक 1242–43/प.स./2019, भोपाल दिनांक 03.04.2019 के जारी किया गया है। जारी निर्देश पुस्तिका में बिन्दु क्रमांक–20 (10) में प्रावधानित है कि :–

''परीक्षा आवेदन पत्र में माध्यम, विषय एवं संकाय की प्रविष्टि सही है, अन्यथा निर्धारित तिथि के उपरान्त सीधे परीक्षा केन्द्र पर संशोधन हेतु आवेदन करने पर रूपये 2,000/– अर्थदण्ड का चालान आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा''

छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्देश को शिथिल करते हुए माध्यम/विषय/संकाय परिवर्तन हेतु प्रति विषय रूपये 300/– के साथ दिनांक 10 फरवरी 2020 तक ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जाती है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/1533 /परीक्षा समन्वय/2020 भोपाल, दिनांक: 03/01/2020

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव–अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
2– संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
3– समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5– आंचलिक/समस्त, संभागीय अधि./समस्त स.स./क.अ. परीक्षा संभाग एवं लोक सूचना कक्ष।
6– पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधि./विधि अधिकारी/सी.एस.ओ./वित्ताधिकारी, मा.शि.म.भोपाल।
7– नि.स.– सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा.शि.म.मंडल।
8– प्राचार्य, समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थायें, मध्यप्रदेश।
9– लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल